न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 297/2020

प्रार्थी
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(2) मोहनीदेवी पत्नी लक्ष्मणजी रावल, निवासी–कैलाशनगर, तह. शिवगंज,जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, सिरोही
2. अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल माली, अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 18 अक्टूबर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहनीदेवी पत्नी लक्ष्मण जी रावल, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 12491 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 02.6.2009 व ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.3.2009 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 (मोहनीदेवी) की ओर से अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल माली उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये व न ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, सिरोही ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के 157(1) के अन्तर्गत पट्टा संख्या 36 दिनांक 0206.2009 को क्षेत्रफल 12491 वर्गफीट का नियमों के विपरित जारी कर पूर्ण अवहेलना की गई हैं। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर को आबादी भूमि में पट्टा विलेख जारी करने का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत अधिकार प्रदत्त है परन्तु जांच प्रतिवेदन में राजस्व भू अभिलेख व तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांकःराजस्व/2019/2967 दिनांक 09.12.2019 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–2 (मोहनीदेवी) का मकान वर्तमान में खसरा संख्या 1503/14, रकबा 20 बीघा, किस्म आबादी है जो दिनांक 18.8.2010 को जमाबंदी रिकॉर्ड में आबादी दर्ज हुई। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख की भूमि [illegible] आबादी नहीं थी। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के [illegible]र्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में संनिर्मित पुराने घरो के लिये [illegible] इच्छुक हैं, वहां उन्हे प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा [illegible]ा, परन्तु ग्राम पंचा[illegible]कैलाशनगर [illegible]ज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही *

ने गोचर भूमि में आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विक्रय संख्या 36 जारी किया जो खारिज योग्य हैं। अप्रार्थी मोहनीदेवी पत्नी लक्ष्मण जी रावल, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में चतुदर्शी पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम में शांतिलाल पुत्र जेरुपाजी की भूमि, उत्तर में रामाराम माली की भूमि व दक्षिण दिशा में कालयूराम गवारिया की भूमि के अनुसार पुराने संनिर्मित घर के स्थान पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पालन नहीं कर खुले भूखण्ड का विक्रय विलेख जारी किया गया जो खारिज योग्य हैं। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत आबादी भूमि में निर्मित पुराने आवासीय भवन के विनियमितिकरण का प्रावधान है, लेकिन अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने नियमों के विपरित अप्रार्थी संख्या–2 (मोहनीदेवी) के पक्ष में गोचर भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पट्टा विलेख संख्या 36 दिनांक 02.6.2009 जारी किया गया जो ख़ारिज योग्य हैं। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) हेतु नियम 146 के अन्तर्गत भूमि का मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन कर रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या– 2 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी करने की सिफारिश संलग्न मिसल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जबकि भौतिक तौर पर उक्त भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग ना लिया जाकर भूमि के उत्तर पूर्व भाग में चार कमरे सीमेन्ट ब्लॉक से निर्मित बिना दरवाजे के व अन्य भूमि खाली भूखण्ड हैं जिसमें निजि विद्यालय संचालित है, जिससे नियम 146 की पालना के अभाव में जारी पट्टा विलेख संख्या 36 निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों के तहत मिसल संख्या 44 में संलग्न पुश्तैनी पट्टा प्रति प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.3.2009 की अनुपालना में जारी किया है, जबकि जांच के दौरान ग्राम पंचायत, कैलाश्नगर की बैठक रजिस्टर में दिनांक 15.3.2009 की कोई बैठक आयोजित नहीं पाई गई। पुश्तैनी आवास हेतु संलग्न गवाहों के बयानों के रूप में स्वयं मोहनीदेवी पत्नी लक्ष्मण रावल का नाम दर्ज हैं। ऐसे निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अधिनियम में मियाद अवधि निर्धारित नही है, वैसें भी बिना अधिकारिता व आरम्भतः शून्य आदेशों के विरुद्ध जानकारी होने पर किसी भी समय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर का संकल्प संख्या 01 दिनांक 15.3.2009 एवं अप्रार्थी मोहनीदेवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 02.6.2009 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (मोहनीदेवी) के अधिवक्ता ने अप्रार्थी मोहनीदेवी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी मोहनी देवी पत्नि श्री लक्ष्मण जी रावल, निवासी– कैलाशनगर का अपने मकान पर करीब 50 वर्षो से अधिक का कब्जा है जिस पर अप्रार्थी संख्या– 2 अपने पिता के जीवनकाल से उपयोग व उपभोग कर रही है इस कारण से अप्रार्थी संख्या– 2 ने अपने पुराने मकान का पटटा जारी करवाने के लिये ग्राम पंचायत, कैलाशनगर में आवेदन किया तथा पट्टा जारी करने के सम्बन्ध मे सभी शुल्क का संदाय किया, जिस पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने अप्रार्थी संख्या–2 के हक मे दिनांक 02.6.2009 को असल पटटा बुक संख्या 26 मिसल संख्या 44 दिनांक 02.7.2008 का पटटा जारी किया, जिसे बाद मे अप्रार्थी संख्या–2 ने दिनांक 17.01.2013 को उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज में पंजीयन करवाया है जिसके पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 357 पृष्ठ संख्या 78 पंजीयन संख्या 201300027 दिनांक 17.01.2013 हैं। उक्त आवासीय मकान का पटटा जारी होने के बाद अप्रार्थी संख्या–2 ने उक्त पटटे को पंजीयन करवाया जिस कारण से उक्त पटटा एक पंजीबद्ध दस्तावेज है और पंजीबद्ध दस्तावेज को चुनौती सम्बन्धित याचिका सुनने का केवल सिविल न्यायालय को ही एक मात्र

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अधिकार हैं और कलेक्टर न्यायालय सिविल न्यायालय के अन्तर्गत नहीं आता है। इस कारण से प्रार्थी सरकार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय मे परिपोषणीय नही है व इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नही होने से काबिले खारिज है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त निगरानी विधिपूर्ण प्रारूप मे प्रस्तुत नहीं की है अर्थात उपरोक्त निगरानी पंचायत समिति के लेटर पेड़ पर प्रस्तुत की है जो की विधिमान्य नहीं है। यह कि अप्रार्थी मोहनीदेवी का ग्राम कैलाशनगर मे पुराने मकान पर करीब 50 वर्षो से अधिक का कब्जा है जिस पर अप्रार्थी मोहनीदेवी अपने पिता के जीवनकाल से उपयोग व उपभोग कर रही है तथा शान्तिपूर्वक किसी को बाधा उत्पन्न किये बिना अपने कच्चे पुराने मकान में निवास कर रही हैं तथा अप्रार्थी मोहनीदेवी ने अपने पुराने मकान मे पानी व बिजली कनेक्शन भी लिया हुआ है जिसका बिल अप्रार्थी मोहनीदेवी के नाम से जारी होता हैं। अप्रार्थी मोहनीदेवी ने अपने पुराने मकान का पट्टा जारी करवाने के लिये ग्राम पंचायत, कैलाशनगर को आवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने जरिये रसीद संख्या 55 व 56 से शुल्क प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्टा कुल नाप 12491 वर्गफीट का जारी किया जो पट्टा अप्रार्थी संख्या– 2 ने दिनांक 17.1.2013 को उपपंजीयक कार्यालय शिवगंज मे पंजीयन करवाया है, जिसकी चर्तुदर्शी उत्तर में अचलाराम पुत्र नथाराम का मकान, दक्षिण में अन्य की खातेदारी, पूर्व में गुलाबचन्द पुत्र धनाजी का मकान, पश्चिम में गली एंव स्वयं का कब्जा है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने अप्रार्थी संख्या–2 से पट्टा नियमन राशि प्राप्त कर उक्त पुराने मकान का पट्टा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या–2 के नाम से जारी किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त निगरानी बिना किसी आधार के प्रस्तुत की है। राजस्थान पंचायती रांज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने घरो के लिये पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है एवं अप्रार्थी संख्या–2 का ग्राम कैलाशनगर मे अपने स्वयं के पुराने मकान पर करीब 50 वर्षो से अधिक का कब्जा है जिस पर अप्रार्थी संख्या–2 अपने पिता के जीवनकाल से उपयोग व उपभोग कर रही है तथा शान्तिपूर्वक किसी को बाधा उत्पन्न किंये बिना अपने कच्चे पुराने मकान में निवास कर रही है। अप्रार्थी संख्या–2 ने विधिवत रूप से राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये सभी शुल्क का संदाय करते हुये आवेदन किया था जिस पर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने संबंधित आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्‌टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) की सभी कार्यावाही पंचायत के द्वारा की जाती है जिसमे आवेदनकर्ता तो सिर्फ निर्धारित प्रार्थना पत्र शुल्क अदा करते है जिस पर आगे की सम्पुर्ण कार्यावाही ग्राम पंचायत की और से पुरी की जाती हैं। अप्रार्थी संख्या–2 ने अपने पुराने मकान का पटटा जारी करवाने के लिये राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत, कैलाशनगर में निर्धारित शुल्क अदा की, जिस पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या–2 के पुराने मकान का मौका मुयावना कर के उक्त मकान का पटटा अप्रार्थी संख्या–2 के हक मे जारी किया गया हैं जिसे बाद मे अप्रार्थी संख्या–2 ने दिनांक 17.1.2013 को उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही मे पंजीयन करवाया है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार के तथा साक्ष्य के केवल मात्र आरोप प्रत्योराप अप्रार्थीगण पर लगा कर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 में प्रार्थना पत्र, नक्शा शुल्क व मौका निरीक्षण शुल्क प्राप्त कर प्रपत्र 21 मे प्रार्थना पत्र दर्ज कर मिसल कायम करने के पश्चात् आगामी पंचायत बैठक मे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के अन्तर्गत 3 वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण [illegible] गठित कर मौका निरीक्षण एवं नक्शे का सत्यापन करवाया जाकर मौका निरीक्षण [illegible] निर्धारित [illegible] में मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त कर पंचायत [illegible] राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 147 के अन्तर्गत प्रस्तावित विक्रय/विनियमन का अन्तिम

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

विनिश्चय करते हुए नियम 148 अन्तर्गत प्रपत्र 22 में आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी कर मौत बिरानों के समक्ष मौके व अन्य सदृश्य स्थलो पर चस्पा की जाकर तामिली रिपोर्ट संलग्न मिसल की जाने के बाद नियत अवधि मे उक्त विक्रय / विनियमन के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर या प्राप्त आपत्तियो / आक्षेपो का राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 149 अन्तर्गत आपत्तियों की सुनवाई व निस्तारण करने के पश्चात पंचायत बैठक मे विक्रय / विनियमतिकरण का निर्णय करते हुये निर्धारित शुल्क पंचायत कोष में जमा करने के पश्चात राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 157 (क) अंन्तर्गत प्रारूप 23 (क) में पटटा जारी कर विनियमतिकरण किया जाना होता हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 (क) तक की सभी कार्यवाही ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है जिसमे आवेदनकर्ता तो सिर्फ निर्धारित प्रार्थना पत्र शुल्क अदा करते है जिस पर आगे की सम्पुर्ण कार्यावाही ग्राम पंचायत की ओर से पुंरी की जाती हैं। अप्रार्थी संख्या–2 ने अपने पुराने मकान का पटटा जारी करवाने के लिये राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत, कैलाशनगर को निर्धारित शुल्क अदा की जिस पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या–2 के पुराने मकान का मौका मुआयना कर के उक्त मकान का पटटा अप्रार्थी संख्या–2 के हक मे जारी किया गया हैं जिसे बाद मे अप्रार्थी संख्या–2 ने उपरोक्त पट्टे को उप पंजीयक, कार्यालय सिरोही मे पंजीयन करवाया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (मोहनीदेवी) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 12491 वर्गफीट भूमि का पट्‌टा विलेख संख्या 36 दिनांक 02.6.2009 को जारी किया गया है, जो पंचायत संकल्प संख्या 01 दिनांक 15.3.2009 के अनुसरण में जारी किया जाना पट्‌टे पर अंकित किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्‌टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्‌टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100 / – रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200 / – रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन

.......पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तहसीलदार, शिवगंज द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को जारी पत्र क्रमांकःराजस्व/2019/2967 दिनांक 09.12.2019 में यह अंकित किया हुआ है कि मोहनीदेवी पत्नी लक्ष्मण रावल, निवासी– कैलाशनगर का मकान वर्तमान में खसरा संख्या 1503/14 रकबा 20 बीघा किस्म आबादी दर्ज है जो ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि की किस्म वर्ष 2008 में आबादी नही थी तथा उक्त भूमि जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःप.12(3)(60)राज/2008/1809–13 दिनांक 04.5.2010 की पालना में नामान्तरकरण दायर करने पर दिनांक 18.8.2010 से जमाबन्दी में आबादी दर्ज हुई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 (मोहनीदेवी) को जिस भूमि का पट्टा संख्या 36 दिनांक 02.6.2009 को जारी किया गया है वह भूमि पट्टा जारी करने की तारीख को आबादी भूमि नही होकर राजस्व रेकर्ड में गोचर भूमि दर्ज थी तथा ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टे जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज, सहायक अभियन्ता, पं.स. शिवगंज, सहायक लेखाधिकारी, पं. स. शिवगंज व पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांकःपंसशि/जांच/2019/150 दिनांक 23.8.2020 की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बैठक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 15.3.2009 को बैठक आयोजित नही पाई गई। उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के सारांश में यह भी अंकित किया है कि पंचायत प्रसार अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 25.7.2019 को मौका स्थिति अनुसार उक्त भूमि खाली है जिसमें वर्तमान में निजी विद्यालय संचालित है व सीमेन्ट ब्लॉक की ईंटों से खुले कक्षा रुप टीनशेड से ढके हुये है तथा पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 से 149 व 157 के नियमों की पालना नही की गई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने संबंधित नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी मोहनीदेवी के पक्ष में पट्टा जारी किया है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार कर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा अप्रार्थी मोहनीदेवी पत्नी लक्ष्मण जी रावल, निवासी– कैलाशनगर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 02.6.2009 को एवं ग्राम पंचायत, कैलाशनगर के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.3.2009 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही